भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं॰ 1712

दिनांक 28.11.2019 को उत्तर दिए जाने के लिए

जल कनेक्शन

1712. श्री एन॰ रेड्डप्पः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार देश के प्रत्येक घर में 3 लाख करोड़ रु॰ से अधिक के प्राक्कलित पूंजी–व्यय के साथ जल कनेक्शन उपलब्ध करा रही है और इससे कॉर्पोरेट क्षेत्र के लिए बड़े व्यवसायगत अवसर उत्पन्न होंगे और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) क्या जल अवसंरचना में निवेश से विकास दर बढ़ेगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति

(श्री रतन लाल कटारिया)

(क) और (ख) वर्ष 2024 तक कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन (एफएचटीसी) के माध्यम से पर्याप्त मात्रा में नियमित रूप से प्रत्येक ग्रामीण घर को पीने योग्य जलापूर्ति उपलबध कराने के लिए भारत सरकार 3.60 लाख करोड़ रु. के परिव्यय के साथ जल जीवन मिशन (जेजेएम) का कार्यान्वयन कर रही है। जेजेएम के तहत वर्ष 2019-2020 तक आबंटित निधियों का राज्य/केंद्र शासित क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुलग्नक** में दिया गया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में, गांवों में जलापूर्ति अवसंरचना, जल संसाधन प्रबंधन, स्रोत सुदृढ़ीकरण/उत्थान, वितरण नेटवर्क, शोधन संयंत्र आदि के विकास के लिए अकुशल, अर्ध-कुशल और कुशल मानव संसाधन की आवश्यकता होगी। इसके अलावा, जल की ढुलाई, जल शोधन, भंडारण, वितरण नेटवर्क आदि के लिए सामग्री की भी आवश्यकता होगी जिससे रोजगार का सृजन होगा और अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।

****

दिनांक 28/11/2019 को उत्तर दिए जाने हेतु लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1712 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

वर्ष 2019-2020 के दौरान जेजेएम के अंतर्गत राज्य/केंद्र शसित क्षेत्र-वार निधि आबंटन

(राशि करोड़ रु. में)*

क्र.सं.	**राज्य/केंद्र शासित क्षेत्र**	**आबंटन**
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	1.45
2.	आंध्र प्रदेश	303.47
3.	अरुणाचल प्रदेश	110.47
4.	असम	679.26
5.	बिहार	741.66
6.	छत्तीसगढ़	169.42
7.	गोवा	6.16
8.	गुजरात	317.85
9.	हरियाणा	122.12
10.	हिमाचल प्रदेश	121.07
11.	जम्मू एवं कश्मीर	262.24
12.	झारखंड	218.00
13.	लद्दाख	135.71
14.	कर्नाटक	444.69
15.	केरल	202.58
16.	मध्य प्रदेश	465.49
17.	महाराष्ट्र	690.55
18.	मणिपुर	56.41
19.	मेघालय	71.69
20.	मिजोरम	33.22
21.	नागालैंड	47.07
22.	ओडिशा	297.03
23.	पुडुचेरी	2.03
24.	पंजाब	185.24
25.	राजस्थान	856.47
26.	सिक्किम	12.85
27.	तमिलनाडु	304.82
28.	तेलंगाना	211.04
29.	त्रिपुरा	89.71
30.	उत्तर प्रदेश	1,390.37
31.	उत्तराखंड	138.87
32.	पश्चिम बंगाल	910.82
	कुल	**9599.83**

* आर्सेनिक और फ्लोराइड प्रभावित बसावटों में पेयजल की गुणवत्ता के मामले को हल करने के लिए राष्ट्रीय जल गुणवत्ता उप-मिशन (एनडब्ल्यूक्यूएसएम) के अंतर्गत मांग आधारित परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 16 चयिनत राज्यों हेतु वर्ष 2019-20 के दौरान अलग से 300 करोड़ रु. की राशि चिह्नित की गई है।